

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, उ०प्र०-चन्दौली।

पत्रांकः/मान्यता/ १२३६ -३९ /२०२०-२१
प्रबन्धक,

दिनांक: २५.८.२०२०

नन्दन कानन इण्टरनेशनल स्कूल,
सिकरी, सदर चन्दौली।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन दिनांक ३०.१२.२०१९ के क्रम में विद्यालय के पहचानवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं नन्दन कानन इण्टरनेशनल स्कूल, सिकरी सदर चन्दौली को दिनांक-०१.०४.२०२० से दिनांक-३१.०३.२०२१ तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा ०१ से ०५ तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ५ के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 (उपांध २) के उपबंधों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा १ से (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों एवं सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी त्रितिमूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के उपांध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - अध्यापकों द्वारा भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं। पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
 - _____

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	-	0.086 हेक्टेअर
कुल निर्मित क्षेत्र	-	1560 वर्ग फिट
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल	-	उपलब्ध है।
कक्षाओं की संख्या	-	06
प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष	-	उपलब्ध है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	-	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	-	हैण्डपम्प है।
मिड-डे—भील पकाने के लिए रसोई	-	है।
वाधारहित पहुंच	-	है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुरतकालय की उपलब्धता — उपलब्धता है।

9. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (4860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी रोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक...../2020-21 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों जा पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपावधि के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 - (i) सेवा नियमावली तैयार कर छ: माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
 - (ii) N.B.C. का प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता से अनिम्न स्तर के अधिकारी का निर्धारित सत्यापन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
 - (iii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त शर्तों एवं प्रमाण पत्रों में यदि किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता को निष्प्रभावी मान लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।

पृ०सं०: /मान्यता/ /2020-21 तदनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ इवं शावशंक कार्यवाही हेतु प्रेपित-

- 1— सहायक शिक्षा निदेशक (व०) पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2— खण्ड शिक्षा अधिकारी, सदर चन्दौली को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय का एक बार पुनः अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर लें, साथ ही यह भी सुनिश्चित हो लें कि खतोनी में विद्यालय के नाम अंकित भूमि पर ही निर्मित भवन में उल्लिखित स्थान पर विद्यालय संचालित हो रहा है तथा भूमि को अकृषित घोषित करा लिया गया है। एन०वी०सी० एवं अग्निशमन प्रमाण पत्रों के प्रमाणिकता की जांच करते हुए अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 3— गार्ड फाइल।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, उ0प्र0-चन्दौली।

पत्रांक: /मान्यता/ 1144-47 /2020-21
प्रबन्धक,

दिनांक: 31-07-2020

नन्दन कानन इण्टरनेशनल स्कूल,
सिकरी, चन्दौली।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 20.06.2019 के क्रम में विद्यालय के पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं नन्दन कानन इण्टरनेशनल स्कूल, सिकरी, चन्दौली को दिनांक-01.04.2020 से दिनांक-31.03.2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 06 से 08 तक के अंग्रेजी माध्यम के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
4. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्फीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
5. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है। पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
 - (viii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों में नियोजित नहीं करेंगे।
6. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
7. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या

- 0.086 हेक्टेअर
- 780 वर्ग फिट
- उपलब्ध है।
- 03

1

CB

प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह—भांडागार के लिए कक्ष	—	उपलब्ध है।
वालक और वालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	—	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	—	हैण्डपम्प है।
मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई	—	है।
वाधारहित पहुंच	—	है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्णों/पुस्तकालय की उपलब्धता — उपलब्धता है।

8. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
9. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
10. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (4860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
11. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
13. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक—B-12/2020-21 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
15. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
16. संलग्न उपावंध के अनुसार अन्य कोई शर्त—
 - (i) सेवा नियमावली तैयार कर छ: माह के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
 - (ii) N.B.C. का प्रमाण पत्र सहायक अभियन्ता से अनिम्न स्तर के अधिकारी का निर्धारित सत्यापन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
 - (iii) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

उपरोक्त शर्तों एवं प्रमाण पत्रों में यदि किसी भी प्रकार का तथ्य गोपन/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में विद्यालय को प्रदान की गयी अनन्तिम मान्यता को निष्प्रभावी मान लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।

पृ०सं०: /मान्यता/ /2020-21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— सहायक शिक्षा निदेशक (वै०) पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2— खण्ड शिक्षा अधिकारी, सदर चन्दौली को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित विद्यालय का एक बार पुनः अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर लें, साथ ही यह भी सुनिश्चित हो लें कि खतौनी में विद्यालय के नाम अंकित भूमि पर ही निर्मित भवन में उल्लिखित स्थान पर विद्यालय संचालित हो रहा है तथा भूमि को अकृषित घोषित करा लिया गया है। एन०बी०सी० एवं अग्निशमन प्रमाण पत्रों के प्रमाणिकता की जांच करते हुए अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 3— गार्ड फाइल।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
चन्दौली।